GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

ई–मेल
सेवा में,

राज्य के सभी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक– 33/27–2022 पी0एस0 (ई0–1)
दिनांक पंचकूला :– 04-04-2022

विषयः– **निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12 (1) (C) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले करने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो विद्यालय के आस–पास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को दाखिला दिया जाना है, जिसके सम्बन्ध में आपको दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की गाईडलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

गाईडलाईन अनुसार सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में समय सारणी अनुसार दाखिले करवाने सुनिश्चित किये जाएँ तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को समय–समय पर अवगत करवाया जाए।

संलग्न– गाईडलाईन की प्रति।

4/4/2022
अधीक्षक पी0एस0(ई0)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक–सम–
दिनांक, पंचकूला–

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित की जाती हैं:–

1. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. पी0ए0/महानिदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. अधीक्षक, प्राईवेट स्कूल शाखा (सैकेण्डरी)
5. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन–I व II को।
6. कार्यालय प्रति।

4/4/2022
अधीक्षक पी0एस0 (ई0)
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला

Office: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560189 Fax: 91(0172)-2560188
कार्यालयः पैंलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560189 फैक्सः 91 (0172) 2560188

विषयः— **निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12 (1) (c) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022—23 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले करने बारे गाईडलाईन।**

****

राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो विद्यालय के आस—पास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र् 2022—23 के लिए दाखिला दिया जाना है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद वर्ग के बालकों को दाखिला देने की समय—सारणी निम्नानुसार हैः—

आर्थिक रूप से दुर्बल/कमजोर वर्ग के बालकों द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आवेदन करने की तिथि	16.04.2022
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	25.04.2022
लॉटरी ड्रा करने की तिथि	29.04.2022
बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि	05.05.2022
बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालकों को दाखिला देने की तिथि।	10.05.2022 से 14.05.2022 तक

दाखिले के सम्बन्ध में गाईडलाईन निम्नानुसार जारी की जाती हैः—

1. सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो, की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल/कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी।

2. **"अलाभप्रद समूह का बालक"** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे एवं निःशक्त बालक आर.टी.ई. एक्ट 2009 की धारा 2 के खण्ड (घ) व (ङङ) (अ) अनुसार।

   "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग का बालक" आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्धित बालकों के अभिभावक और माता—पिता की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रूपए अथवा उससे कम हो तथा आय परिवार पहचान पत्र से भी पृष्टि की जाए।

   नोट— अलाभप्रद समूह के बालकों के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष का/नवीनतम पाया जाना अनिवार्य है जैसे कि—वर्ष 2022—23 के लिए मार्च 2022 माह का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है या परिवार पहचान पत्र में अगर वार्षिक सत्यापित आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम है, तो वह मान्य होगा।

3/8
4/4/22

3. **दाखिले की आयु सीमा –**

(i) प्रवेश स्तर की कक्षाओं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा (प्री–स्कूल / नर्सरी, प्री–प्राईमरी / के.जी और प्रथम कक्षा) में निम्नानुसार हैः–

कक्षा का स्तर	आयु सीमा 31.03.2022 तक
प्री–स्कूल / नर्सरी	3–5 वर्ष
प्री–प्राईमरी / के.जी	4–6 वर्ष
कक्षा– प्रथम	5–7 वर्ष

(ii) प्रवेश स्तर की कक्षाओं निःशक्त वर्ग (RPWD) के बालाकों के प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा (प्री–स्कूल / नर्सरी, प्री–प्राईमरी / के.जी और प्रथम कक्षा) में निम्नानुसार हैः–

कक्षा का स्तर	आयु सीमा 31.03.2022 तक
प्री–स्कूल / नर्सरी	3–9 वर्ष
प्री–प्राईमरी / के.जी	4–9 वर्ष
कक्षा– प्रथम	5–9 वर्ष

4. माता पिता / अभिभावक द्वारा आवासीय पता व विद्यालय से आवासीय दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका आवासीय क्षेत्र विद्यालय से 0–1 किलोमीटर की दूरी के अन्दर है।

5. यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या, कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से सम्बन्धित बालकों की आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक है, तो प्रवेश ड्रॉ ऑफ लॉटस द्वारा किया जाएगा।

6. कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे को प्रवेश देते समय, रकम, दान, योगदान या भुगतान राशि नहीं लेगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और रकम, दान, योगदान या भुगतान राशि प्राप्त करता है, तो दण्डनीय जुर्माना होगा जो कि शुल्क के 10 गुना तक लग सकता है।

7. **मोनिटरिंग सैल–** खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग सैल का गठन किया जाए जो कि कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से सम्बन्धित बालकों के स्कूलों में आवेदन सम्बन्धी प्रश्नों और शिकायतों का निवारण करेंगे व स्कूलवाईज़ ड्रा के माध्यम से चयनित सफल छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाए।

4/4/2022